भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या93*

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बलों में महिलाओं की कार्य दशाओं में सुधार

***93 श्री एस. थंगावेलुः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पुलिस बलों में महिलाओं की कार्य दशाओं को सुधारने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को पुलिस बलों में महिलाओं की कार्य दशाओं को सुधारने संबंधी सिफारिशें प्राप्त हुई है, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93

'पुलिस बलों में महिलाओं की कार्यदशाओं में सुधार के बारे में दिनांक 04.03.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): संविधान की सातवीं अनुसूची में 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारों को विभिन्न पुलिस सुधार और कल्याण संबंधी उपाय क्रियान्वित करने होते हैं। पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए केन्द्र समय-समय पर राज्यों को सलाह देती है। राज्यों के पुलिस बलों में महिला कार्मिकों की कार्यदशाओं में सुधार लाने के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या फा.सं.VI.21011/27/2014-पीएम-I के तहत सभी राज्य सरकारों को अपनी राज्य कार्य योजनाओं में उचित प्रस्तावों को शामिल करने की सलाह दी गई थी।

पुलिस बलों में महिलाओं की कार्य दशाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुलिस में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करता है। पुलिस में महिलाओं के लिए छठा राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 26-28 फरवरी, 2014 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। सरकार को समय-समय पर प्राप्त हुई सिफारिशों/सुझावों को सरकार की योजनाओं और नीतियों में ध्यान में रखा जाता है।

जहां तक गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का संबंध है महिला पुलिस कार्मिकों की कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें मुहैया कराई गई सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

i. पृथक शौचालयों सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ महिला कार्मिकों के लिए अलग आवास मुहैया कराया गया है।
ii. उन क्षेत्रों में जहां समुचित स्थान उपलब्ध नहीं हैं, वहां उचित तरीके से तम्बुओं को लगाकर महिला कर्मचारियों के प्रयोग हेतु कमोड के साथ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
iii. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा संबंधित कल्याण निधियों में से आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों को 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर' उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अन्य प्रभार के अंतर्गत 'क्रेच सुविधाएं' नामक एक पृथक बजट शीर्ष खोला गया है।
iv. भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण-तैनाती, आवास, पदोन्नति आदि में कई महिला केन्द्रित नीतियां अपनाई गई हैं ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक आदर्श कार्य-जीवन अनुपात स्थापित हो सके तथा अधिक से अधिक महिलाएं बलों में शामिल होने के लिए इच्छुक हों और जिससे महिला कार्मिकों की प्रतिशतता बढ़ सके।

****